न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
दावा संख्या :– 32/2020
दायर दिनाकं :– 02.09.2020
निर्णय दिनांक :– 04.032022

उनवान

1. आनी देवी पत्नि स्व0 श्री दयालचन्द उर्फ देवा जाति बैरवा निवासी खारी कोठी, बंशीवाल मौहल्ला दौसा जिला दौसा राजस्थान
2. प्रेम देवी पुत्री स्व0 श्री दयालचन्द उर्फ देवा पत्नि तानसेन भागवत जाति बैरवा निवासी ई–20 अम्बेडकर नगर, पानी की टंकी के पास अलवर राजस्थान
3. कान्ता देवी पुत्री स्व श्री दयालचन्द उर्फ देवा पत्नि विजय कुमार बैरवा निवासी सेन्टमेरी स्कूल के पीछे, गांधी नगर, लालसोट रोड दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

(अप्रार्थी)

उपस्थिति :– श्री अशोक बैरवा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णयः– दिनांक 04.03.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

उक्त प्रकरण मे संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है की प्रार्थीगण ग्राम नामोलाव तहसील दौसा का रहने वाली है प्रार्थीगण के पति एवं पिता का दिनांक 15.11.2018 को देहान्त हो गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार का वैद्य प्रतिनिधी है। वाके ग्राम नामोलाव पटवार हल्का दौसा कलां तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 4007 रकबा 0.98 है0 खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.44 है0 खसरा नम्बर 4009 रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.88 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पति एवं पिता का भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादीगण के पति एवं पिता उपरोक्त आराजीयात का 1/4 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार रहा है।

वादीगण के पति एवं पिता का वास्तविक नाम दयालचन्द बंशीवाल पुत्र चुन्नी लाल है तथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह ... मृतक का पेंशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:02:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

वार्षिक सत्यापन स्लिप व मृत्यु प्रमाण–पत्र वार्ड नम्बर 16 नगर परिषद दौसा के पार्षद रेशमा बंशीवाल की रिपोर्ट एवं प्रार्थी संख्या 1 व उसके पति के सयुंक्त खाता बैंक आफॅ बडौदा की पास बुक में प्रार्थीगण के पति एवं पिता का नाम दयाल चन्द पुत्र चुन्नी लाल दर्ज है तथा भूमि के अन्य सहखातेदारो के शपथ–पत्र भी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पति एवं पिता का नाम दयाल चन्द है। सहवन व भूलवश एवं अज्ञानता के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति एवं पिता का नाम देवा पुत्र चून्या दर्ज कर दिया जबकि वास्तविक नाम दयाल चन्द बंशीवाल पुत्र चुन्नी लाल बैरवा है। देवा तो प्रार्थीगण के पति एवं पिता का बचपन का लाड प्यार का नाम है। तहसीलदार दौसा को प्रार्थीगण ने अनेक बार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने के लिए कहा परन्तु तहसीलदार दौसा टालमटोल करते रहे है। दिनांक 25.08.2020 को तहसीलदार दौसा द्वारा नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर आदेश लाओ। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। न्यायालय को धारा 136 एल आर एक्ट के तहत नाम दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा तहसीलदार दौसा को आदेश फरमाया जावे कि ग्राम नामोलाव तहसील दौसा के राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या 102 व पुराना खाता संख्या 101 में प्रार्थी का नाम देवा पुत्र चून्या दर्ज हो रहा है उसे लोपित किया जाकर उसके स्थान पर दयाल चन्द बंशीवाल पुत्र चुन्नी लाल बैरवा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु आदेश प्रदान करने तु निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त वाद न्यायालय में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज जेस्ट्रार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के जरिये नोटिस तलबी की गई। ोकार सरकार तहसीलदार दौसा ने बिन्दुवार जवाब/रिपोर्ट पेश किया गया। ासीलदार दौसा ने अपनी रिपोर्ट में देवा पुत्र चून्या एवं दयालचन्द पुत्र चुनीलाल वा एक ही आदमी होना अवगत कराया है। वादी वकील से बहस सुनी गयी।

उभयपक्षों वादी एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट एवं खातेदारो के शपथ–पत्र पत्रावली एवं मिसलकी पर उपलब्ध रिकार्ड एवं ावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दौसा ... प्र... रिपोर्ट एवं ब्रातेदारो के शपथ–पत्र/बयानों के आधार पर देवा दयाल ... नाम दुरूस्त ा जाना उचित प्रतीत होता है। अतःवादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:02:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

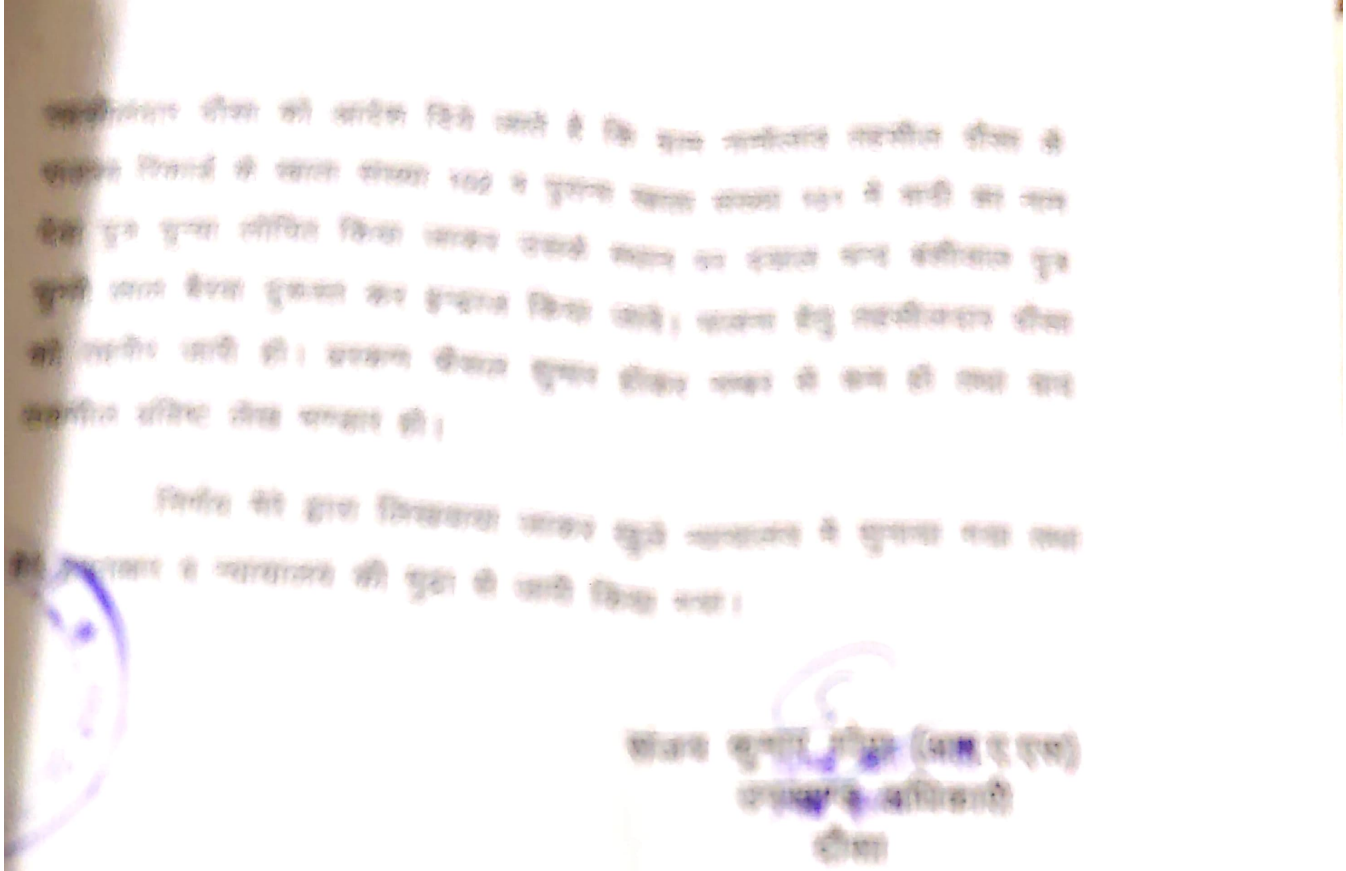

[illegible]

[illegible]

संजय कुमार गोरा (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:02:30 IST
Reason: SelfAttested